INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

NOTARIAL NOTARIAL

Certificate No.	:	IN-UK09702884717407T
Certificate Issued Date	:	27-Jan-2021 12:36 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1219904/ MUSSORIE/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK121990422869761448174T
Purchased by	:	MAHESHWARI
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	HOP BUILDERS AND DEVELOPERS PVT LTD
Second Party	:	MAHESHWARI
Stamp Duty Paid By	:	MAHESHWARI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

उमा गुप्ता
स्टाम्प [illegible] 7
कोर्ट कम्पाउन्ड, मसूरी

--Please write or type below this line--

[illegible]

महेश्वरी देवी

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with CamScanner

विक्रय अनुबन्ध –पत्र

यह विक्रय अनुबन्ध –पत्र आज दिनांक 27–01–2021 को स्थान मसूरी में मै0 होप बिल्डर्स एण्ड डेवेपलर्स, प्रा0लि0., द्वारा निदेशक श्री कैलाश जैन पुत्र श्री आर0 एन0 जैन,, निवासी– 108 शांति कुंज, डी–4 बसंत कुंज, नई दिल्ली ——विक्रेता——प्रथम पक्ष

एवम्

श्रीमती महेश्वरी पत्नि श्री दर्शन लाल, निवासिनी–किसकिन्धा हाउस, मसूरी, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड——क्रेता——द्वितीय पक्ष के मध्य अंकित, हस्ताक्षरित एवं निष्पादित हुआ है जिसमें दोनों पक्षों के वारीसान, उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, स्थानापन्न आदि–आदि सम्मिलित माने जायेंगे ।

जैसा कि विक्रेता प्रथम पक्ष सम्पत्ति/भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 160 गज अथवा 1440 वर्ग फुट अथवा 133.78 वर्ग मीटर है, का स्वामी है, विक्रेता के पास स्वामित्व से संबधित सभी वैधानिक कागजात उपलब्ध है जो कि मेरीविल इस्टेट, बार्लोगंज, मसूरी, जिला, देहरादून में स्थित है। क्रेता द्वितीय पक्ष ने विक्रेता प्रथम पक्ष की उपरोक्त भूखण्ड को रू0 11,000/– प्रति गज की दर से रू0 17,60,000/– (रूपये सत्रह लाख साठ हजार मात्र) मे बेचने का आग्रह किया है एव विक्रेता प्रथम पक्ष एवं क्रेता द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड को रू0 17,60,000/– (रूपये सत्रह लाख साठ हजार मात्र) में क्रय–विक्रय करने को सहमत हुए हैं जिसकी निम्नलिखित शर्ते तय पाई गई हैं जो कि दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होंगी :–

शर्ते :–

1– यह कि उक्त विक्रय अनुबन्ध के अनुपालन में क्रेता द्वितीय पक्ष ने विक्रेता प्रथम पक्ष को रू0 5,50,000/– (रूपये पाँच लाख पचास हजार मात्र) का का भुगतान निम्न प्रकार से किया है–

(अ) रू0 1,00,000/– दिनांक 24–01–2021 को नगद भुगतान किये हैं ।

(ब) रू0 50,000/– चैक सं0 554223 दिनांक 24–01–2021 बैंक ऑफ बडौदा, मसूरी के द्वारा भुगतान किये हैं । जिनकी प्राप्ति विक्रेता प्रथम पक्ष स्वीकार करता है। पार्ट पेमेन्ट

(स) रू0 4,00,000/– माह मार्च 2021 मे द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अदा करेगा। 15(मार्च)

2– यह कि शेष विक्रय मूल्य रू0 12,10,000/– विक्रय–पत्र के निष्पादन के समय द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को अदा किया जायेगा ।

3– यह कि विक्रीत सम्पत्ति का विक्रय–पत्र क्रेता द्वितीय पक्ष अपने नाम या अपने नामित व्यक्ति के नाम माह जून 2021 तक शेष धनराशि अदा करके निष्पादित करेगा । जिस पर प्रथम पक्ष एवं उसके वारीसानों को कोई आपत्ति नही होगी । 30(जून)

महेश्वरी देवी

Scanned with CamScanner

4– यह कि अनुबंधित सम्पत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी प्रकार की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी ।

5– यह कि विक्रीत सम्पत्ति में आने–जाने हेतु 4 फुट का संयुक्त मार्ग विक्रेता अपनी सम्पत्ति में से देगा जो कि श्री प्रदीप अग्रवाल की सम्पत्ति से लगी हुई है। रास्ते का निर्माण का खर्चा द्वितीय पक्ष का स्वयं का होगा ।

6– यह कि सीवर लाइन के लिये प्रथम पक्ष द्वारा अपनी सम्पत्ति में से एक फुट भूखण्ड सीवर लाइन से जोड़ने के लिये दी जा रही है जिसके एवज में द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को रू0 60,000/– अलग से अदा करेगा । द्वितीय पक्ष द्वारा एक फुट सीवर लाइन की जगह का प्रयोग यदि अन्य लोगों से भी किया जाता है तो द्वितीय पक्ष उसके एवज में जो भी भुगतान लेना चाहे वह अन्य लोगों से ले सकता है प्रथम पक्ष का उस पर किसी प्रकार का लेन–देन नही होगा । ना ही कोई आपत्ति होगी सीवर लाइन संबंधी निर्माण भी द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं के खर्च पर कराया जायेगा ।

7– यह कि केता द्वितीय पक्ष शेष विक्रय मूल्य रू0 12,10,000/–का भुगतान जून 2021 तक विक्रेता प्रथम पक्ष को अदा करके सम्पत्ति का विक्रय–पत्र अपने नाम या अपने नामित व्यक्ति के नाम करा लेगी । यदि केता द्वितीय पक्ष शेष विक्रय मूल्य रू0 12,10,000/–देने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा दी गई अग्रिम धनराशि जब्त हो जायेगी, और यदि विक्रेता प्रथम पक्ष आज दिनांक 24–01–2021 के बाद विक्रीत सम्पत्ति/भूखण्ड को नही बेचता है या सम्पत्ति/भूखण्ड को बेचने से इन्कार करता है अथवा बकाया धनराशि रू0 12,10,000/–(रूपये बारह लाख दस हजार) लेने से इन्कार करता है तो वह केता द्वितीय पक्ष के द्वारा दी गई अग्रिम धनराशि का दुगुना केता द्वितीय पक्ष को अदा करेगा।

विवरण सम्पत्ति

वह समस्त सम्पत्ति भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल (लगभग 25X60) 160 गज अथवा 1440 वर्ग फुट अथवा 133.78 वर्ग मीटर है जो कि मेरीविल इस्टेट, बार्लोगंज, मसूरी, जिला, देहरादून में स्थित है।

जिसके :–

पूरब में	:	सम्पत्ति श्री मनोज कुमार एवं श्री जियानन्द भट्ट नाप लगभग 60 फुट
पश्चिम में	:	विक्रेता की सम्पत्ति नाप लगभग 60 फुट
उत्तर में	:	विक्रेता की सम्पत्ति नाप लगभग 25 फुट व 4 फुट मार्ग
दक्षिण में	:	विक्रेता की सम्पत्ति नाप लगभग 25 फुट

महेश्वरी देवी

Scanned with CamScanner

अतः यह विक्रय अनुबन्ध–पत्र दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के उपरोक्त वर्णित तिथि, माह एवं वर्ष को निम्न लिखित गवाहानों के समक्ष अंकित, हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया है ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे ।

प्रथम पक्ष

Kailash Chand
(कैलाश जैन)

द्वितीय पक्ष

(महेश्वरी)
महेश्वरी देवी

गवाहानः–

1– Manoj Kumar

2– Brijendra Singh

Attested

RAM DAYAL
[illegible]

Scanned with CamScanner